

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-1442/दो-9-2017-11(3)/2017  
लखनऊ : दिनांक : जून, 2017  
4 पुस्तक  
कार्यालय-ज्ञाप

श्री रजनीश चन्द्र, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 21.03.2017 एवं जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र दिनांक 24.03.2017 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (क)सपठित नियम-17(1)(क) के अधीन 3/433, विश्वासखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ पर भवन विस्तार हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू./80186 से रू0-14,00,000/-(रूपये चौदह लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तार्थीन प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- 2- यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- 3- उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अशोक कुमार श्रीवास्तव  
विशेष सचिव।

संख्या-1442(1)/दो-9-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - 2- सम्परीक्षा अधिकारी कास (viii) फण्ड महालेखाकार, कार्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
  - 3- जिलाधिकारी गोरखपुर।
  - 4- मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
  - 5- श्री रजनीश चन्द्र, पी0सी0एस0, अपर जिलाधिकारी (नगर)गोरखपुर।
  - 6- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

257  
( राजीव श्रीवास्तव )  
उप सचिव।